



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129719

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 21925 सन् 2026

हकीम सिंह

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : मार्कडेय राय, प्रदीप कुमार राय, संदीप कुमार राय

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार राय और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 372 सन् 2026 अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 109(1), 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना- हाईवे, जिला- मथुरा में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। हालाँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम तीन अन्य अभियुक्तगण और कुछ अज्ञात लोगों के साथ शामिल है, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट में गोली लगने से हुई चोट के लिए आवेदक की कोई खास भूमिका नहीं बताई गई है। इसमें सिर्फ गोली चलाने की सामान्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भूमिका बताई गई है और घायल व्यक्ति को गोली लगने से केवल एक ही ज़ख्म हुआ है; सीआईएमएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की अनुपूरक चिकित्सीय संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टर ने भी इस ज़ख्म पर संदेह जताया है। आवेदक का एक अन्य आपराधिक प्रकरण का आपराधिक इतिहास है, जिसमें उसे अभी पेश होना है और ज़मानत लेनी है। अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक का उक्त एक प्रकरण के अतिरिक्त कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 21.05.2026 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है और कहा है कि आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों पर घायल व्यक्ति पर गोली चलाने का खास आरोप है, जिससे उसे गोली लगने का एक ज़ख्म हुआ था। यह चोट गंभीर थी और इससे जान भी जा सकती थी क्योंकि घायल व्यक्ति के शरीर के अहम हिस्से पर चोट लगी थी। हालाँकि, उन्होंने आवेदक के आपराधिक इतिहास के बारे में दी गई जानकारी पर कोई आपत्ति नहीं जताई है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

6. हालाँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम है, लेकिन उसकी कोई खास भूमिका नहीं दी गई है। उस पर गोली चलाने की सामान्य भूमिका का आरोप है और घायल व्यक्ति को केवल एक ही प्रवेश घाव हुआ है; सीआईएमएस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की अनुपूरक चिकित्सीय संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टर ने भी इस घाव पर संदेह जताया है। घायल व्यक्ति को कोई गंभीर चोट लगने की बात नहीं कही गई है।

7. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया ज़मानत का प्रकरण बनता है।

8. जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. ऊपर बताए गए मुकदमा अपराध संख्या से जुड़े अभियुक्त-आवेदक **हकीम सिंह** को ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो भरोसेमंद ज़मानतदार पेश करने होंगे, साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
 - iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा या उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
 - iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई हर तारीख पर नियमित रूप से पेश होगा, सिवाय उस स्थिति के जब संबंधित न्यायालय ने उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी हो।
10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर से बनी कॉपी के आधार पर रिहा किया जाएगा। यह कॉपी इलाहाबाद हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित की गई हो, साथ ही यह वचन भी दिया जाए कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर जमा कर दी जाएगी।
12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।
13. ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस जमानत याचिका पर निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

ऐमन